

प्रेस विज्ञप्ति
थाना – सिधारी

सिधारी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी के 115200/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 25.04.2024 को वादी मुकदमा अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र आनन्द मोहन श्रीवास्तव साकिन 131 करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी के इलेक्ट्रॉनिक शो रूम का ताला तोड़कर 01 एलईडी टीवी, 01 से 1.5 लाख रुपये नगद व मेडिकल की दुकान से 11 हजार रुपये नगद अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/2024 धारा 457/380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➔ दिनांक 27.04.2024 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा नितीश चन्द्र पाण्डेय पुत्र जे. एन. पाण्डेय ग्राम मेंहनगर पोस्ट मेहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.04.2024 की रात्रि मे ग्लोबल हास्पिटल के मेडिकल स्टोर के केश काउंटर से 1 लाख 60 हजार रुपये अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 149/24 धारा 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.04.2024 को उ0नि0 युगराज सिंह, व0उ0नि0 भगत सिंह व उ0नि0 मो0 शैफ मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति शाहगढ़ बाजार के पास बाग मे एक व्यक्ति अवैध तमंचा के साथ मौजूद है। इस सूचना पर अभियुक्त सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी चालिसवा थाना मुहम्मदाबाद गोहन जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष को 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 115200/- रुपये के साथ समय करीब 17:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 150/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी चालिसवा थाना मुहम्मदाबाद गोहन जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 150/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 23 व 24 अप्रैल की रात मे सिधारी मे मेडिकल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से कुछ रुपये चोरी किये थे तथा ग्लोबल हास्पिटल से भी रुपये चोरी किये थे। ये पैसे उसी चोरी से सम्बन्धित है तथा शेष पैसे खर्च हो गये।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 1029/09 धारा 380/411 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 474/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 10/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 22/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 27/21 धारा 401/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0- 284/23 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
7. मु0अ0सं0- 161/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
8. मु0अ0सं0- 256/17 धारा 379/411/419/420/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
9. मु0अ0सं0- 338/22 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
10. मु0अ0सं0- 495/15 धारा 401 थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
11. मु0अ0सं0- 15/24 धारा 379/411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ
12. मु0अ0सं0- 26/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ
13. मु0अ0सं0- 431/22 धारा 379/411/416 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
14. मु0अ0सं0- 221/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
15. मु0अ0सं0- 273/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
16. मु0अ0सं0- 278/22 धारा 411/413/420/465 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
17. मु0अ0सं0- 279/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
18. मु0अ0सं0- 05/18 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
19. मु0अ0सं0- 152/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

20. मु0अ0सं0- 144/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

21. मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

22. मु0अ0सं0-150/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस.315 बोर व 115200/- रुपये (चोरी के)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 भगत सिंह, उ0नि0 युगराज सिंह, उ0नि0 मो0 सैफ, कां0 दीपक पासवान थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

अपहरण कर शादी का दबाव डलने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी को अभियुक्त 1.लैस पुत्र तौफीक सा.बस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष 2. गुड़िया पत्नी नसीम उम्र 45 वर्ष 3. ऐरम पुत्री नसीम उम्र 24 वर्ष साकिनान ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ चार पहिया वाहन में बैठाकर जबरदस्ती शादी का दबाव डालने लगे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 136/2024 धारा- 366 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त मो0 नसीम आजमी पुत्र मो0 ताहिर निवासी ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-40 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.04.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 नसीम आजमी पुत्र मो0 ताहिर निवासी ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम बसिरहाँ से समय करीब 12:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 नसीम आजमी पुत्र मो0 ताहिर निवासी ग्राम छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 131/2024 धारा-366 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 131/2024 धारा-366 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-190/2023 धारा-323/427/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुपम जायसवाल, का0 गंगासागर कुशवाहा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।